UPMT010005662026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP6191}
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–275/2026
बबलू आदि बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 22/2026 धारा–191(2), 115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना– कोसीकलां, जिला– मथुरा के अभियुक्तगण **बबलू व दीपक पुत्रगण बाबूलाल** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी राजेश उर्फ धर्मेन्द्र दिनांक 14.01.2026 समय करीब 04:30 बजे शाम अपने निजी कार्य से बाजार गया हुआ था। जब प्रार्थी सब्जी मण्डी, थाना कोसीकलाँ के पास पहुँचा तो वहाँ अधिक भीड़ होने के कारण उसकी बाइक में एक टर्री (रेहड़ी) आकर लग गई। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो वहाँ मौजूद बबलू पुत्र बाबूलाल तथा दीपक पुत्र बबलू ने प्रार्थी के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया और गाली देने से मना किया, तब उक्त लोगों ने प्रार्थी के साथ मारपीट शुरू कर दी तथा फोन कर अपने 4–5 अन्य साथियों को भी बुला लिया, जिन्होंने मिलकर प्रार्थी को बुरी तरह मारापीटा। उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के गुप्तांग पर जान से मारने की नीयत से लात–घूंसे मारे गए तथा लोहे की सरिया से भी प्रहार किया गया। बबलू व दीपक द्वारा लोहे की रॉड व चाबी से गुप्तांग पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आई हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे राहगीरों ने बीच–बचाव कर प्रार्थी को बचाया। इसके बाद सभी आरोपी वहाँ से भाग गए और जाते–जाते प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दे गए। प्रार्थी/वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या– 22/2026 धारा–191(2), 115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।
3. अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा न तो किसी न्यायालय में लगा है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी सम्भ्रांत परिवार का गरीब व्यक्ति है जो कि अपने पुत्र के साथ ई रिक्शा चलाकर अपना व अपने परिवार

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.17 10:26:02 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का पालन पोषण करता है। दिनांक 14.01.2026 को प्रार्थी अपने ई–रिक्शा में सवारी लेकर जा रहा था तो ई–रिक्शा से वादी की मोटर साईकिल टकरा गयी। इसी बात को रंजिश मानते हुये वादी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र के खिलाफ पुलिस से षडयंत्र कर झूठा मुकदमा लिखवा दिया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उपरोक्त घटना से कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा न ही उपरोक्त घटना से सम्बन्धित कोई भी वस्तु अभियुक्तग से बरामद हुई है। तथाकथित जो बरामदगी दिखाई गयी है वह फर्जी व प्लांट कर पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाये जाने की नीयत से फर्जी दर्शायी गई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। उपरोक्त मामले में जानता का कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 15.01.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करने का आरोप आक्षेपित है।
7. अभियोजन की ओर से इस घटना में चुटैल बताए गए राजेश उर्फ धर्मेन्द्र से सम्बन्धित चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिनमें मजरूब के कुल 09 चोटें आनी दर्शित की गई हैं। उक्त चुटैल की कोई चोट प्राणघातक प्रकृति की हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 15.01.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।
8. तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदकगण/अभियुक्तगण समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होंगे,

ख– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे,

ग– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे,

घ– आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षीगण को न डरायेंगे और न धमकायेंगे तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे,

ड़– आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–16.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191